भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 43/ 2016 -17

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 23.09.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 23.09.2016 – Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 128वीं बैठक दिनांक 23.09.2016 को शाम 04.30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 128th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 4.30 PM on 23.09.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt.

1. Anil Kumar S, Addl. Commissioner
2. Amreetha Titus, Deputy Commissioner
3. Aneish P Rajan, Deputy Commissioner
4. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
5. B.Umadevi Asst. Commissioner
6. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
7. Mohammed Rafic M., Asst. Commissioner
8. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
9. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
10. Usha V., Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinod P, Cochin Port Trust
2. K.N.Vimal Kumar, MPEDA
3. D.Iyyanar, Plant Quarantine Office
4. K.Suresh Babu, CFS (CPT)
5. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
6. Philip Antony. CFS (MIV Logistics)
7. P.P.Rajendran, CFS, Falcon, Kalamassery
8. Vahab M.A, CFS Falcon , Kalamassery
9. V.Veera Raghav, CFS, GDKL
10. Vivek P CFS (KSIE)
11. Philip Antony CFS MIV Logistics
12. Abraham Philip, Cochin Custom House Agents Association
13. Subodh, Cochin Steamer Agents Association

14. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
15. N.N.Menon, EPC for EOU & SEZ Unit
16. Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India
17. Vency Joseph Consolidators Assn. of India
18. A. A. Abdul Azees, India Chambers of Commerce and Industry
19. A.K.Vijayakumar, Federation of India Export Org.
20. Mukul N. D P World
21. Roopesh Babu, ICD Kottayam

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

ACTION ON MINUTES OF LAST MEETING

निकासी न दिए गए भरे हुए कंटेरनों को डेलिवरी वैधता की जांच किए बिना कंटेनर यार्ड से सीएफएस में ले जाना (सीएसएए द्वारा उठाया गया मुद्दा)

MOVEMENT OF UN-CLEARED LOADED CONTAINERS FROM CONTAINER YARD TO CFS WITHOUT VERIFYING DELIVERY VALIDITY (Point raised by CSAA)

अध्यक्ष महोदय ने सीएसएए प्राधिकारियों ने सीएफएस केरल खंड और सीएसए एसोसिएशन के बीच हुई बैठक का ब्यौरा देने का आग्रह किया।

The Chair enquired the CSAA authorities to explain the details of the meeting held between the CFS Kerala chapter and the CSA Association.

सीएसएए के श्री प्रकाश अय्यर ने कहा कि 01 सितंबर, 2016 को हुई बैठक में उन्होंने इस मामले में संयुक्त रूप से समाधान निकाल लिया है और सूचित किया कि ग्राहक की मर्ज़ी के अनुसार आईजीएम में सीएफएस कोड की घोषणा करने की वर्तमान प्रक्रिया (एसीपी को छोड कर) को जारी रखा जाएगा और शिपिंग लाइनें संबंधित सीएफएस के साथ आईजीएम विवरण साझा करेंगी। टर्मिनल द्वारा नियत नि:शुल्क अवधि के भीतर सीएफएस प्रचालक सभी कंटेनरों को बिना किसी भंडारण प्रभार के घोषित सीएफएस में ले जाएंगे। सीएफएस प्रचालकों द्वारा इस संबंध में शिपिंग लाइनों को एक दैनिक रिपोर्ट भेजनी होगी। वितरण आदेश सीएफएस प्रचालकों को संबोधित होंगे और सीएफएस में आयात कारगो/कंटेनरों की जांच की अनुमति केवल वैध वितरण रिपोर्ट/एन.ओ.सी. पर ही की जाएगी। कंटेनरों को रिलीज़ करने से पहले सीएफएस सुनिश्चित करेगा कि प्राप्तकर्ता/सीबी से कंटेनरों के मूवमेंट संबंधी सभी प्रभार प्राप्त कर लिए गए हैं। निकासी न दिए गए कारगो की सीमाशुल्क अधिनियम के अनुसार नीलामी सीएफएस करेगा।

Shri Prakash Iyer of CSAA told that in the meeting held on 1st September, 2016 they had jointly arrived at a solution for the issue and informed that the present procedure of declaring the CFS code in the IGM as per choice of the customer (except ACP)would continue and shipping lines would be sharing the IGM details to the concerned CFS. Within the free period specified by the terminal, all containers would be moved to the declared CFS by the CFS operators without any storage charges. A daily report in this regard should be submitted to the Shipping Lines by the CFS operators. Delivery orders would be addressed to the CFS Operators and examination of Import cargo/containers would be permitted in the CFS only

against the valid delivery report/NOC. CFS would ensure collection of all charges related to the movement of the containers from the consignee/CB before releasing the containers. CFS would be conducting auction on un cleared cargo as per Customs Act.

अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया।

The Chair and all the members welcomed this.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु

FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION.

बिंदु सं. 2 ई.जी.एम. गलतियां और इसके बाद संशोधन के लिए आवेदन

Point No. 1 EGM ERRORS AND SUBSEQUENT REQUEST FOR AMENDMENTS

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को सूचित किया कि ई.जी.एम. गलतियों के कारण व्यापारियों द्वारा नौवहन बिलों और एक्सपोर्ट जनरल मेनिफेस्ट को पुन:फाइल करने/इनमें संशोधन करने के संबंध में मिलने वाले आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि डाटा फीड करने वाले स्टाफ को यह जानकारी देनी चाहिए कि सिस्टम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि सभी डाटा और सूचना बिलकुल सटीक और सही होनी चाहिए अगर कोई गलती हो जाती है, तो सिस्टम इसे अस्वीकार कर देगा। उन्हें और संवेदनशील बनाना होगा क्योंकि उनकी गलतियां, चाहे असावधानी या ध्यान भटकने की वजह से की हुई कितनी भी छोटी गलतियां हों, इनसे अंतत: उनका और विभाग का वक्त बरबाद हो जाएगा और निर्यातक को घाटा होगा।

The Chair informed the members that there is an increase in the number of requests from the trade for refiling/making amendments in the Shipping Bills and in the Export General Manifest due to EGM errors. He said that staff who feed in the data should be made aware that the system is geared in such a way that all the data and information should be accurate and correct and that if some mistakes creep in, it will get rejected by the system. Hence, they must be more sensitized that their mistakes, though they are small errors committed due to carelessness and lack of attention, will ultimately result in loss of precious time to them and the department and monetary loss to the exporter.

बिंदु सं.2 आर.एम.एस. द्वारा चुने गए रीफर कंटेनरों की वजह से होने वाली परेशानियां (सीसीएचएए)

Point No.2. ISSUES FACED DUE TO RMS PICKED REEFER CONTAINERS (CCHAA)

सीसीएचएचए ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उनके कई सदस्यों ने शिकायत की है कि सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा सील किए हुए होने पर भी 40% तक निर्यात रीफर कंटेनरों को आईसीटीटी, वल्लारपाडम में नौवहन बिल बनाते समय आर.एस.एस. द्वारा सीमाशुल्क जांच के लिए चुना जाता है। इन कंटेनरों को जांच के लिए सी.एफ.एस. तक ले जाने में बहुत मेहनत, समय एवं निर्यातकों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि सीबीईसी परिपत्र 12/2013 दिनांक 02.02.22013 का लाभ उन्हें भी दिया जाए जिसके तहत कृषि उत्पादों के हवाई कन्साइन्मेंटों को रोजमर्रा की जांच से छूट प्रदान की गई है और यह भी अनुरोध किया कि रीफर कंटेनरों को आर.एम.एस. द्वारा चुने जाने पर भी जांच के बिना "गेट इन" की अनुमति दी जाए।

The CCHAA informed the Chair that many of their members had complained that the Export Reefer containers though sealed by Customs/ Central Excise, were being picked up through RMS as high as 40 % for Customs Examination at the time of generating Shipping Bill at ICTT Vallarpadam. Moving these containers back to CFS for examination, involves a lot of

labour, time and monetary loss to the exporters. Hence, they requested that the benefit of CBEC Circular 12/2013 dated 02.02.2013 which exempted the air consignment of agricultural goods from routine examination may be extended for reefer containers too and they may be permitted to " gate in" without examination even if they are picked up for examination by the RMS.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उन्होंने इस प्रकार की शिकायत करने वाले निर्यातकों की सूची सत्यापित की है और यह पाया है कि यह किसी विशेष निर्यातक से नहीं आई हैं, आर.एम.एस. द्वारा चुना जाना किसी विशेष उद्योग या कारगो से कदापि संबंधित नहीं है। यह चुनाव संभवतः स्कीम संबंधित या कन्साइन्मेंट के उच्च मूल्य या मात्रा के कारण या भरे गए इनपुट में किसी प्रकार की गलति के कारण हो सकता है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि उन्होंने यह मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए आर.एम.एस. निदेशालय के साथ पहले ही उठाया है, जैसाकि पहले एक कोयर निर्यातक के मामले में किया गया था।

The Chair informed that he had verified the list of exporters who had this complaint and could see that it is not from a particular exporter and RMS selection is certainly not on industry specific or cargo specific. Selection may be of scheme related or due to the high volume or value of the consignment or due to some error in the inputs fed. He also informed that he had already taken up this issue with the RMS Directorate for necessary action, as had been done in the case of a Coir Exporter earlier.

जहां तक जांच का संबंध है, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कंटेनरों को सिस्टम द्वारा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे केंद्रीय उत्पादशुल्क द्वारा स्टफ किए गए हैं या कारखाने में स्टफ किए गए हैं, यदाकदा ही जांच के लिए चुना जाता है। अगर कोई गलती होती है, तब भी सिस्टम बिल को आर.एम.एस. के लिए चुनेगा ताकि इस पर ध्यान दिया जाए। इस समस्या से निजाद पाने के लिए गलतियों को कम से कम रखना होगा। संभवतः, किसी कारणवश यह किसी विशेष निर्यातक से संबंधित भी होता है। तथापि, सिस्टम द्वारा अगर किसी कंटेनर को जांच के लिए चुना जाता है, तो उसे अनिवार्य रूप से किसी सी.एफ.एस. में ले जाना होगा और उसकी जांच करनी होगी।

Regarding examination, the Chair said that the containers are picked up for examination occasionally by the system irrespective of the facts whether they are central excise stuffed or factory stuffed. If there are some mistakes too, the system may select the Bill for RMS for keeping some alert. Hence, mistakes are to be brought down to the minimum to get over this problem. Probably, for some reason or other it may be of Exporter specific too. However, once the container is picked up for examination which is in built in the system, it should invariably be moved to some CFS and get examined.

श्री एब्रहाम फिलिप ने अनुरोध किया कि रीफर कंटेनर सीमाशुल्क द्वारा सील किए होते हैं और आर.एम.एस. द्वारा जाचं के लिए चुने जाने पर भी उन्हें जांच के बिना गेट इन की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसाकि एयर कारगो कोम्प्लेक्स में किया जाता है।

Shri Abraham Philip requested that the reefer containers are Customs sealed containers and should be considered for gate in without examination, even if it is picked up by RMS as done in Air Cargo Complex.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि रीफर कंटेनरों को बिना जांच के या जांच से पहले ''गेट इन'' नहीं दिया जा सकता और आईसीटीटी वल्लारपाडम में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि टर्मिनल के भीतर कारगो की जांच की सुविधा नहीं है जैसा कि एसीसी में है, जहां अंदर ही जांच की जा सकती है। आईसीटीटी में टर्मिनल और सीएफएस अलग-अलग हैं। आईसीटीटी का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि सीमाशुल्क निकासी के बाद ही कंटेनर अंदर जा सकते हैं क्योंकि वह एक एसईजेड है। उन्होंने यह भी कहा कि, हर सप्ताह

एक सीएफएस को दिन-रात काम करने के लिए तैयार किया गया है ताकि निर्यातकों को सुविधा मिल सके और सभी सीएफएसों में पर्याप्त प्लग प्वाइंट उपलब्ध हैं। सिस्टम किसी भी कारण से कंटेनर को जांच के लिए चुन सकता है; इसलिए आरएमएस द्वारा चुने गए कंटेनरों को गेट इन करने का केवल एक तरीका यह है कि उन्हें वापस किसी सीएफएस में ले जाया जाए और जांच की जाए, चाहे इसमें कुछ अतिरिक्त खर्चा हो। तथापि, अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि वे सिस्टम की निगरानी करने और आरएमएस निदेशालय से स्पष्टीकरण मिलने के बाद इस बात पर दुबारा चर्चा करेंगे।

The Chair informed that "Gate in" of Reefer Containers without or before examination is not possible and cannot be permitted in ICTT Vallarpadam as there is no provision for examination of cargo inside the Terminal as in ACC where examination can be done inside. In ICTT, the terminal is separate and the CFS is separate. The whole structure of ICTT is made in such a way that after Customs clearance alone the containers can get in as it is an SEZ. He added that weekly, one CFS is made working round the clock to facilitate the exporters and in all the CFS, adequate plug points are available. The system picks up a container for examination for many reasons; so, the only way out for RMS picked reefer containers to get gate in is, to move them back to one of the CFS and get the examination done, though it incurs some additional charges. However, the Chair assured that he will get back after monitoring the system and getting it clarified with the RMS Directorate.

बिंदु सं. 3 ईबीआरसी प्रस्तुत करने के लिए शिपरों को डिमांड नोटिस (सीसीएचएए)

Point No 3. DEMAND NOTICE TO SHIPPERS FOR PRODUCING EBRC(CCHAA)

सीसीएचएए ने सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग ने 2013-14 की अवधि के लिए शिपरों को डिमांड नोटिस भेजा है; और इसको प्रस्तुत किए जाने पर, विभाग बैंक प्रभारों पर शुल्कवापसी राशि की वापसी के लिए डिमांड नोटिस भेज रहा है, क्योंकि ईबीआरसी किसी विशेष लेनदेन के लिए बैंक प्रभारों को घटाने के बाद प्राप्त मूल्य की राशि को विदेशी मुद्रा में दर्शाता है। 100/-रु. से कम राशि के लिए भी मांग हुई है।

The CCHAA has informed that Customs department had issued Demand notice to shippers for the period 2013-14; and on submission of the same, Department is sending Demand Notices for refund of the Drawback amount on the Bank charges, as the EBRC shows the amount of Realised Value in Foreign currency after deducting the Bank charges for the particular transaction. The demands are even for amounts below Rs.100/-

श्रीमती अम्रीता टाइटस, उप आयुक्त ने कहा कि अगर वास्तव में प्राप्त और प्राप्त की जाने वाली राशियों में अंतर होता है, तो शिपरों को संलिप्त राशि का ध्यान न देते हुए अंतर का हिसाब देना होगा। अनुरोध करने पर बैंक, शामिल बैंक प्रभारों के संबंध में प्रमाण पत्र जारी करते हैं। ऐसे मामलों में विभाग शिपरों को पत्र नहीं भेज रहा है। अगर ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है और ईबीआरसी में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो विभाग द्वारा अंतर का कारण जानने के लिए नोटिस भेजा जाता है। अगर ईबीआरसी में बैंक प्रभारों का उल्लेख नहीं है, तो भी निर्यातक इस आशय का पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि यह राशि बैंक द्वारा घटाई गई है, क्योंकि विभाग को इस बात की पुष्टी करनी होती है कि क्या एफईएमए के दौरान राशि प्राप्त कर ली गई है और पूरी रकम प्राप्त कर ली गई है।

Smt Amreeta Titus, Deputy Commissioner said that if there is a difference between the amounts actually realized and to be realized, shippers are to account for the difference irrespective of the amount involved. Banks, on request used to issue certificates in respect of the Bank charges deducted. In such cases, the Department is not issuing letters to the Shippers. If there is no such certificate or mention in EBRC, notices are issued by the department to confirm the reason for the difference . Even if there is no mention in the

EBRC regarding the Bank charges, Exporters can submit a letter stating that the amount is the charges deducted by the bank, as Department needs confirmation as to whether the amount is realized during the FEMA period and is realized in full.

श्री एन.एन. मेनन ने कहा कि पहले के बीआरसी फार्म में बैंक प्रभारों को दर्शाने के लिए एक अलग कॉलम हुआ करता था; लेकिन ईबीआरसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर संपर्क किया जाता है, तो बैंक समझाने बुझाने के बाद ही ईबीआरसी के ब्यौरे देने केलिए तैयार होते हैं।

Shri N N Menon said that in the earlier BRC form, there was a column earmarked for entering the Bank charges; but in the EBRC there is no such provision. Banks, if approached, are reluctant to show the details in the EBRC unless they are persuaded to.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्राप्त एफओबी मूल्य में जो भी अंतर हो, उसका हिसाब देना होगा। इसलिए निर्यातकों को या ईबीआरसी या फिर बैंक प्रबंधक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि अंतर बैंक द्वारा घटाया गया बैंक प्रभार है, क्योंकि बीआरसी का मिलान करने की प्रक्रिया से बचा नहीं जा सकता यह हर संगठन के लिए अनिवार्य है।

The chair said that whatever be the difference in the amount of FOB value realized, it should be accounted for. Hence the Exporters should produce either the EBRC or a certificate from the Bank Manager stating that the difference is the charges deducted by the Bank, as BRC reconciliation cannot be avoided as it is mandatory for every formation.

बिंदु सं. 4 कारखाने में स्टफ किए गए (सेल्फ सील्ड सहित) निर्यात कंटेनरों का एलईओ अवधि से पहले टर्मिनल में प्रवेश (सीसीएचएए)

Point No.4 ENTRY OF FACTORY STUFFED(INCLUDING SELF SEALED)EXPORT CONTAINERS INTO TERMINAL PRIOR TO LEO(CCHAA)

सीसीएचएए के श्री एब्रहाम फिलिप ने सूचित किया कि कारखाने में स्टफ किए गए और सेल्फ सील्ड कंटेनरों की सीधी एन्ट्री के बारे में बोर्ड के अनुदेशों के होते हुए भी, कुछ लाइनर एलईटी एक्सपोर्ट ओर्डर और लोडिंग के लिए अनुमति वाले निर्यात कंटेनरों से एसईजेड 4 फार्मों की मांग करते हैं। क्योंकि एलईओ प्रदान किया गया कारगो सीमाशुल्क कारगो होता है इसलिए एसईजेड 4 फार्मों की कमी के कारण इन कंटेनरों को टर्मिनल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि कार्यालय समय के बाद इन फार्मों को ले पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने अनुरोध किया कि शिपिंग लाइनों को इस बात के आवश्यक अनुदेश दें कि टर्मिनल में प्रवेश करनेक के लिए कंटेनरों से एसईजेड 4 फार्मों के लिए जोर न दें।

Shri Abraham Philip of CCHAA informed that even though there is Boards instruction for direct port entry for factory stuffed and self sealed containers, some Shipping lines are insisting for SEZ 4 forms along with export containers even with Let Export Order and permission for Allow Loading. As cargo given LEO is Customs cargo, entry into terminal should not be denied for these containers for want of SEZ 4 forms, as obtaining these forms after office hours, is very difficult. He requested that necessary instructions be given to the Shipping lines for not insisting for SEZ 4 forms for entry of the containers into the Terminal.

सीएसएए के श्री प्रकाश अय्यर ने उत्तर दिया कि इस समस्या का एकमात्र समाधन ई एसईजेड फार्म जारी करना है। चेन्नै जैसे अन्य सभी पोर्टों में ईएसईजेड फार्म कार्यान्वित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोच्ची में 90% कैरियर्स एसईजेड 4 फार्म अग्रिम रूप से जारी करते हैं और सीएचए को केवल शेष 10% की वजह से समस्या होती है। इसके अलावा, श्री अनंतरामन, अध्यक्ष ओडीईएक्स ने सीएचए को सिस्टम में वीजीएम विवरण अपलोड करने और एसईजेड 4 फार्म निकालने के लिए एक्सस प्रदान करने के बार में चर्चा की और सूचित किया कि वे इस मामले पर काम कर रहे हैं तथा इसके पूरा हो जाने पर यह समस्या समाप्त हो जाएगी।

Shri Prakash Iyer of CSAA replied that the only solution for this problem is issuance of E SEZ forms. In all other ports like Chennai, E SEZ 4 forms are already implemented. He said that in Kochi, 90% of the carriers are issuing SEZ 4 forms in advance and CHA are facing problems only with the remaining 10 % of the carriers. Besides, Shri Anantharaman, Director of ODeX had discussed with the CHA with respect to providing access to the CHA in the system for uploading the VGM details and for generating SEZ 4 forms and informed that they are working on it and once this is completed, this issue will get resolved.

सीसीएचएए के श्री एब्रहाम फिलिप ने कहा कि ओडेक्स के अलावा दो और फर्मों को इस काम के लिए नौवहन महानिदेशालय द्वारा अनुमति दी गई है। इसलिए उनके द्वारा केवल ओडेक्स के माध्यम से यह काम करने पर जोर दिए जाने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं।

Shri Abraham Philip of CCHAA told that apart from ODeX, there are two more firms which are approved by the DG Shipping for this work, Hence, insisting them for carry out the work only through ODeX, has some practical difficulties.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि चूंकि मामले को पहले ही सीएसएए के समक्ष उठाया गया है, इसलिए उसका समाधान निकाले जाने तक वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

The Chair said that since the issue has already been taken up by the CSAA, until it gets resolved the present practice needs to continue.

बिंदु सं. 5 पुन: निर्यात के लिए आयात किए गए खाद्य नमूनों को एफएसएसएआई को संदर्भित करने से छूट प्रदान करना (एफआईओ)

Point No.5. EXEMPTION OF FOOD SAMPLES IMPORTED FOR RE EXPORT FROM REFERING TO FSSAI (FIEO)

एफआईईओ के श्री ए के विजयकुमार ने सूचित किया कि खाफ कन्सान्मेंट के एक आयातक ने उनके बिलों को एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाने से छूट प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन दिया है, क्योंकि माल का आयात पुन: निर्यात करने के लिए किया गया है।

Shri A K Viyakumar, from FIEO informed that one of the importers of food consignment had made a representation to exempt their bills from getting referred to FSSAI when the imported items are meant for re export

एफएसएसएआई के डॉ. जेस्टो जोर्ज ने कहा कि ऐसे सरसरी तौर पर छूट प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब कोई आगम पत्र एफएसएसएआई को संदर्भित किया जाता है, तो उन्हें बिल संख्या, तारीख आदि के अलावा और कोई विवरण जैसे कि माल को पुन: निर्यात किया जाना है आदि जानकारी उनको उपलब्ध नहीं होती है। इसके आलवा, आरएमएस सिस्टम के माध्यम से ही बिल एफएसएसएआई को संदर्भित किए जाते हैं। इसलिए अगर बिलों को एफएसएसएआई को संदर्भित न किया जाए, तो वे सीमाशुल्क से ''ब्लैंकेट एक्सेंप्शन'' के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं; यदि इन्हें एफएसएसएआई को संदर्भित किया जाता है, तो आयातक को निकासी के लिए एफएसएसआई के पास आवेदन करना होगा; इसके लिए उसके पास आईई कोड होना चाहिए और अधिनियम के अनुसार सभी मानकों से गुज़रना होगा। सामन्यत: इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दो या तीन लगते हैं। "आउट ऑफ स्कोप" स्टेटस देने के लिए भी आयातक को उपर्युक्त आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

Dr. Jesto George of FSSAI said that there is no provision for giving Blanket exemption as such, as when a Bill of Entry is referred to FSSAI, except for the details such as Bill No. and date etc., no other details with respect to the item or whether it is meant for re export and so on are not made available to them. Besides, the bills are getting referred to FSSAI through

RMS system. Hence, they can get clearance from the Customs as if under "Blanket Exemption" if the Bills do not get referred to FSSAI; but if it is referred to FSSAI , then the importer must submit application to FSSAI for the clearance; for which he must be having IE Code and have to undergo all parameters as per the Act. Normally it will take two or three days to complete these formalities. Even for granting "out of Scope" status, the Importer should submit application as above.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि ऐसे मामलों और ऐसी घटनाओं की संख्या आदि प्राप्त करने के बाद अगर आवश्यक हो, तो इस मामले को चर्चा के लिए उठाया जा सकता है।

The Chair informed that after getting the details of number of such cases and occurrences etc. this issue can be taken up for discussion, if necessary.

श्री जेस्टो जोर्ज ने इस मुद्दे पर अपनी शंका का समाधान जानना चाहा कि क्या कोई आयातक पहले की तारीख में दायर किए गए बिल पर एफएसएसएआई द्वारा निकासी न दिए जाने पर उसी माल की निकासी के लिए दूसरा आगम पत्र दायर कर सकता है। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से यह भी अनुरोध किया कि एफएसएसएआई द्वारा अस्वीकार किए गए कारगो के बारे में उन्हें नियमित रूप से जानकारी दी जाए कि क्या उसे नष्ट कर दिया है या पुनः निर्यात किया गया है।

Shri Jesto George raised a doubt whether an Importer can file another Bill of Entry for clearance of the goods for which clearance was not given from the FSSAI in a Bill filed on a prior date. He also requested the Chair to regularly provide them with the details on the status of FSSAI rejected cargo, whether they are destroyed or re-exported.

श्री भुवनचंद्रन ने सूचित किया कि ईडीआई सिस्टम में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत एफएसएसएआई द्वारा निकासी न दिए गए माल को आगम पत्र से हटाया जाता है और शेष माल को निकासी दी जाती है।

Shri Bhuvanachandran informed that a provision has been made in the EDI system wherein the items for which clearance has not been granted by FSSAI, are removed from the Bill of Entry and clearance given only for the remaining goods

अध्यक्ष महोदय ने एफएसएसएआई प्राधिकारियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा मांगे गए अनुसार अस्वीकार किए गए कारगो की जानकारी दी जाएगी।

The Chair assured the FSSAI authorities that details of status of rejected cargo, will be provided as asked for.

अध्यक्ष महोदय ने जीएसटी के बारे में कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया और सूचित किया कि अभी जीएसटी के बारे में चर्चा करना जल्दबज़ी होगी, क्योंकि इसको अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है तथा इसके कार्यान्वयन से पहले व्यापारी वर्ग के लिए सेमिनार होंगे और अनुदेश भी जारी किए जाएंगे एवं वे जीएसटी का इंतज़ार करें जो कि व्यापार वर्ग, विभाग और जनता के लिए भी एक सीखने की प्रक्रिया होगी।

The Chair also answered to some queries raised by some of the members on GST and informed that it is too early to talk about the GST now, as it is yet to be implemented and there will be seminars and dissemination of instruction to the trade before implementation and they can wait for GST and it will be a learning process for the trade, the department and public as well.

श्री प्रकाश अय्यर ने सूचित किया कि ब्रीफ (BRIEF), एक निजी एजेंसी, पोत परिवहन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए सीएफएस, टर्मिनल के कारण और पीटीएफएसी तथा सीसीएफसी जैसी परामर्शी बैठकों के आयोजन के

महत्व और इसके प्रभाव के बारे में एक अध्ययन कर रही है और उन्होंने सभी पणधारियों को 26 सितंबर, 2016 को शाम 6 बजे कैसिनो होटल में BRIEF के साथ आयोजित की गई बैठक में आमंत्रित किया।

Shri Prakash Iyer informed that BRIEF, a private agency is conducting a study on the working of CFSs, Terminals and impact and importance of holding consultative meetings like PTFC and CCFC etc. for submitting to the Ministry of Shipping and he invited all the stake holders for a meeting arranged on the 26th of September, 2016 with the BRIEF at 6 pm at THE Casino Hotel

कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin @ gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

□□/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
तारीख Dated:18.10.2016

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V. USHA)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs& Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit , 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members